

केंद्र ने बिहार को दिये 1152 करोड़ रुपए

चर्चा में क्यों?

4 जुलाई, 2022 को बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र ने बिहार के लिये 60 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस फंड का इस्तेमाल ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में तय फॉर्मूले के आधार पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य नचिले स्तर तक विकास को ले जाना है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार से टाइट अनुदान मद के तहत पहली कश्ति के रूप में 60 करोड़ रुपए का फंड बिहार को मिला है। यह फंड बिहार के 8067 ग्राम पंचायतों, 533 पंचायत समितियों और 38 जिला परिषदों को सुदृढ़ करने के लिये दिया गया है।
- सम्राट चौधरी ने बताया कि स्वीकृत राशियों की नकिसी वित्तीय वर्ष 2022-23 में की जाएगी, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिले अनुदान का वितरण पंचायती राज संस्थाओं के बीच 70:15:15 के अनुपात में किया जाएगा। इस फॉर्मूले के आधार पर ग्राम पंचायतों को 82 करोड़ रुपए, पंचायत समितियों को 172.89 करोड़ रुपए और जिला परिषदों को 172.8 रुपए आवंटित किये जाएंगे।
- वदिति है कि 1 सप्ताह पहले भारत सरकार ने वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में अनटाइड मद में 768.40 करोड़ रुपए पंचायती राज संस्थाओं के बीच अनुपातिक रूप से वितरित किये गए हैं। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा टाइट में 1152.60 एवं अनटाइड मद में 768.40 करोड़ रुपए यानी की कुल मलिकर बिहार को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 1921 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।